

क्रमांक 1161-5 नं. एस.-71/6914

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. यमी किसानीय अधिकारी, आयुक्त अन्वाला मण्डल और सभी उपायुक्त और सभी उप मण्डल अधिकारी, हरियाणा।
2. रोजस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय और सभी बिना और सब न्यायाधीश हरियाणा।

दिनांक, च४हीगड़ 1 अप्रैल, 1971।

विषय:—निम्नमित सरकारी कर्मचारियों की मुख्यालय पर उत्तिष्ठति।

महोबद्द,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपका ज्ञान दिलाने और यह कहने का निवेद हुआ है कि जादू तथा गृहि निवेदजालय। सरकार से यह पूछा था कि निम्नमित सरकारी कर्मचारियों को निम्नमित के समय क्या मञ्चालय पर हाजरी लगाने के लिए

कहा जा सकता है प्रथमा नहीं। इस मामले पर मर्केन्च न्यायालय ने A.I.R. 1963 Sec. 687 तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय ने A.I.R. 1958 Cul. 234 में यह निर्णय लिया कि कर्मचारी निम्नमित हांते हुए भी सेवा में रहता है इस दिवंगि से सरकार ने यह निर्णय लिया है कि निम्नमित अधिकारी को जिस त्वान पर उसका मञ्चालय नियमित किया गया वहाँ के सम्बन्धित कायलिय में प्रतिदिन हाजरी लगाने के लिए कहा जा सकता है और मञ्चालय छोड़ने के लिए निम्नमित कर्मचारी को सकाम अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है।

2. इस पत्र की प्रवती भेजने का अनुरोध किया जाता है।

भवदीय,

हस्ता/-

यम सचिव, राजनीतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक-एक प्रति निम्नमिति को सेवा में भेजी जाती है:-

1. वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा।
2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा।
2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

अग्रा: क्रमांक 1161-5 नं. एस.-71

दिनांक, च४हीगड़ 1-4-1971।

हस्ता/-
यम सचिव राजनीतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।